Assistant

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25102021-230692
CG-DL-W-25102021-230692

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 34] नई दिल्ली, अक्तूबर 10 - अक्तूबर 16 , 2021, शनिवार/ आश्विन 18- आश्विन 24, 1943
No. 34] NEW DELHI, OCTOBER 10 - OCTOBER 16, 2021, SATURDAY/ ASVINA 18 - ASVINA 24, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

सा.का.नि.114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अनुसचिवीय (समूह -ख पद) भर्ती नियम 1976 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय एवं इसकी बाहरी इकाइयो में सहायक, (समूह ख पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, सहायक (समूह -ख पद) भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—**उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या ,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ओर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति .—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी ,जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक	28* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर.6 (35400-112400/- रु)	चयन पद	30 वर्ष से अनाधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए पांच वर्ष की छूट दी जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु सीमा का निर्धारण करने की निर्णायक तिथि केंद्रीय चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। **टिप्पण :** अहर्ताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अपेक्षित अभ्यार्थियों की दशा मे शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय एवं इसकी बाहरी इकाइयों में कार्यकारी उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100/-रु) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की है तथा संबंधित क्षेत्र में, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी की है । प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेश के ऐसे अधिकारी: (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या ii) वेतन मैट्रिक्स स्तर 05 (29200-92300/- रु) में छह साल की नियमित सेवा की हो ; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता रखते हो।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक और वैज्ञानिक 'डी', केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य 3. गृह मंत्रालय का एक अधिकारी जिसका पद भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे ना हो - सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती के पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतय तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नही होगी।	2. उप निदेशक और वैज्ञानिक 'डी', केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य; 3. गृह मंत्रालय का एक अधिकारी जिसका पद भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे ना हो - सदस्य।	

[फा.सं.डीएफएसएस/38(2)/2013]

नरेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi, the 27th September, 2021

G.S.R. 114.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development Ministerial (Group B) Posts Recruitment Rules, 1976 in so far as they relate to the post of Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Assistant (Group B post) in the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services and its outlying units, namely:-

1. **Short title and commencement.**—

(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Assistant (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant.	28*(2021) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level -6 (Rs. 35400-112400/-)	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years.(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential:** Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years.	(i) By direct recruitment-50 per cent . (ii) By promotion failing which by deputation- 50 per cent .

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Upper Division Clerk in level – 4 of the pay matrix(Rs. 25500-81100/-), working in Directorate of Forensic Science Services and offices under its administrative control, with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and have successfully completed 2-4 weeks training in the relevant area in Institute of Secretariat Training and Management. **Deputation:** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the posts in level 5 of the pay matrix(Rs. 29200-92300). (b) possessing the essential qualification prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 4**: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services -Chairman; 2. Dy. Director and Scientist D, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services -Member; 3. An Officer from Ministry of Home Affairs, not below the rank of Under Secretary to the Government of India – Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services -Chairman; 2. Dy. Director and Scientist D, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services -Member; 3. An officer from Ministry of Home Affairs, not below the rank of Under Secretary to the Government of India – Member.	Not applicable.

[F. No. DFSS/38(2)/2013]

NARENDER KUMAR, Under Secy.